## महत्वपूर्ण एवं खास

### 6 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने 6 ग्राम पंचायत सचिव को जनपद पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में मद्यपान करते हुए पाए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत रायगढ़ एवं खरसिया निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत रायगढ़ के ग्राम पंचायत सियारपाली के ग्राम पंचायत सचिव श्याम चौहान, ग्राम पंचायत कोटमार के ग्राम पंचायत सचिव प्यारे लाल पटेल, ग्राम पंचायत कोतरलिया के ग्राम पंचायत सचिव रोहित पटेल, ग्राम पंचायत मनुवापाली के ग्राम पंचायत सचिव विजय साव, जनपद पंचायत खरसिया ग्राम पंचायत बिंजकोट के ग्राम पंचायत सचिव रोहित पटेल एवं जनपद पंचायत खरसिया ग्राम पंचायत रजघटा के ग्राम पंचायत सचिव रोहिणी नायक के द्वारा गत दिवस जनपद पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में मद्यपान करते हुए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने के कारण जिला पंचायत सीईओ द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

### दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना पत्थलगांव में पत्थलगांव की रहने वाली युवती द्वारा जिला कोरबा निवासी कमलजीत ढांढा द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने व मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी । आरोपी कमलजीत ढांढा द्वारा युवती से वर्ष 2017 में जान परिचय बढाकर प्रेम संबंध बनाया और जुलाई 2018 में कमलजीत, युवकी को रायगढ़ बुलाया और उसके साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाया। युवती जब कमलजीत से शादी करने की तो कमलजीत टाल मटोल करने लगा तब युवती उसके घर कोरबा गई जहां कमलजीत युवती के साथ मारपीट किया था। थाना पत्थलगांव से उक्त अपराध की डायरी 11 अप्रैल को थाना कोतवाली में प्राप्त होने पर थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध धारा 376,323 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरम्यान आरोपी कमलजीत सिंह ढांढा पिता वेदपाल सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी संगतपुर थाना व जिला जीन्द (हरियाणा) को आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है ।

### रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 23 मई को

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02 के लिए विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया एवं धरमजयगढ़ के लिए 23 मई को प्रातः 8 बजे से केआईटी कालेज गढ़उमरिया स्थित स्ट्रांग रूम में मतगणना किया जाएगा। इसी तरह जशपुर जिले के 3 विधानसभा सीट की मतगणना 23 मई को प्रातः 8 बजे से जशपुर जिले में किया जाएगा। मतगणना की तैयारी पूर्ण हो चुका है। सर्व प्रथम डाक मतपत्रों की गणना किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार 14-14 टेबलों में चक्रवार गणना की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक पी.वेकट रामी रेड्डी की उपस्थिति में मतगणना किया जाएगा।

# पाँच महिला समूह से 15 लाख से अधिक की धोखाधड़ी

**माईक्रो फाइनेंस बैंकिंग कंपनी का कारनामा**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** लगातार दिनों दिन बढ़ रहे अपराध को कम करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने वाले पुलिस विभाग ही जब चुप्पी साध ले तो प्रार्थी पर गुजरने वाली या उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है की प्रार्थीयों पर क्या बितेगी।

ताजा मामला सारंगढ़ थाना का है जहां सारंगढ़ नगर अंचल में पांच महिला समूहों सदस्यो के द्वारा पांच बैंक फ्यूजन माइक्रो फ़ायनेंश-सारंगढ़, बंधन बैंक-सारंगढ़,स्पंदना बैंक-सारंगढ, संगम बैंक-सारंगढ, ईसाब बैंक-सारंगढ, सभी पांचों फ़ायनेंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से समूह गठित कर के फ़ायनेस लेकर क़िस्त वाइस जमा करते थे जहा समूह बनाकर 10-10 की टीम गठित कर महिलाएं समूह संचालित कर रहे थे। और समूह के एक सदस्य जिसके ऊपर पूरे समूह के द्वारा आरोप लगाया गया है सफेद बाई वगैरह के ऊपर आरोप इन समूहों के द्वारा लगाया गया है कि हमारे ही समूह का सदस्य थे तो हम समूहों का बैठक सेंटर कार्यलय में जाते थे तो हमसे हमेशा उधारी रकम मंगा करते थे हमारे पास उधारी देने के लिए रकम नही कहने पर हमे कहा गया कि आप लोगो के नाम से उल्लेखित कम्पनी बैंक से रकम ऋण स्वरूप मैं निकलवा दे रही हु और वो रकम आप लोग मुझे दे देना हम आप लोगो की ऋण को नियमानुसार उक्त संस्थानों में नियमित रूप से मासिक जमा करते रहेंगे आप लोगों के ऊपर कभी कोई किस्म की वसूली या अन्य कोई प्रकार की कार्यवाही होगी उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे इस तरह महिला समूह को धोखा दिया गया, और प्राइवेट कंपनी बैंक से ऋण निकलवा लिया गया और हमसे धोखा पूर्वक सारी राशि को उक्त अपराधीगणों के द्वारा अघोहस्ताक्षरकर्ताओ के नाम के सम्मुख राशि पूरा रकम आरोपियो के द्वारा ले लिया गया है। सभी समूह के महिलाओं से लगभग 15 लाख पचास हजार की रकम को धोखाधड़ी किया गया है जिसकी शिकायत हमारे द्वारा थाना सारंगढ में किया गया है।

## भालू के हमले से ग्रामीण घायल

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** धरमजयगढ़ के बोरो वनपरिक्षेत्र अंतर्गत जमरगी डी गाँव में आज अहले सुबह तेंदु पत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर भालू ने पीछे से हमला कर दिया,जैसे तैसे करके अपने भाई की मदद से भालू से अपनी जान बचाने में भोला राम कामयब हो गया लेकिन इस हमले में उसके पैरों में गंभीर चोंट आई जिसके बाद तत्काल घायल भोला राम को निजी वाहन से धरमजयगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया जहाँ वन विभाग की ओर से उसका इलाज कराया जा रहा है फिलहाल अभी हालत में सुधार है । क्षेत्र में तेंदु पत्ता तोड़ना मासूम ग्रामीणों को भारी महंगा पड़ रहा है ,आपको याद दिलादें अभी हालही में दो दिनों के भीतर तेंदु पत्ता तोड़ने गए तीन ग्रामीणों को हाँथी ने मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों की माने तो जान का दुश्मन एक ही नर दंतैल हाँथी बारी-बारी करके मासूम ग्रामीणों को मौत दी है । बताया जा रहा मौत का सौदागर दंतैल वर्तमान में धरमजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत विचरण कर रहा है। जिससे लोगों में किलिंग मशीन का काफी दहसत भी है।

## ट्रक चालक ने 1 टन लोहे का सरिया कर दिया गायब

**» अमानत में खयानत का मामला दर्ज**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत चिटकापानी में आर. के.टी.सी. लिमिटेड कम्पनी द्वारा रेल्वे ब्रीज का निर्माण किया जा रहा है। कम्पनी के सुपरवाईजर अब्दुल गनी उम्र 39 वर्ष निवासी लोईंग रोड चिटकाकानी द्वारा 5 मई को थाना चक्रधरनगर में ट्रक चालक द्वारा 1 टन लोहा सरिया कम लाकर अमानत में खयानत करने का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। मामले में ट्रक चालक सुखदेव सिंह के विरूद्ध धारा 406 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्टकर्ता ने बताया कि कम्पनी द्वारा रेल्वे ब्रीज में लगने वाले लोहा सरिया आदि बड़माल से चिटकाकानी ट्रक से मंगाते हैं। 05 मई को भी ट्रक क्रमांक छ्त्त 12 स 0150 में ड्राइवर सुखदेव सिंह से सरिया मंगाये थे। सुखदेव सिंह माल लेकर चिटकाकानी पहुंचा तो ट्रक में माल कम नजर आने पर उससे पूछताछ किये और ट्रक को चेक किये तो लगभग 1 टन माल कम पाया गया जिसमें 10एमएम10 बंडल और 16 एमएम 5 बंडल चाइनल 6 नं. नहीं था ।

## मतगणना संबंधी प्रशिक्षण 11 मई को

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02 के लिए 23 मई 2019 को मतगणना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा मतगणना के संबंध में रायगढ़ एवं जशपुर जिले के प्रत्येक विधानसभा से 01 सहायक रिटर्निंग आफिसर, 2 मतगणना सहायक रिटर्निंग आफिसर, 01 रिजर्व मतगणना सहायक रिटर्निंग आफिसर, 2 मास्टर ट्रेनर्स साथ में प्रत्येक लोकसभा के रिटर्निंग आफिसर पोस्टल बैलेट हेतु 2 सहायक रिटर्निंग आफिसर एवं जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए मतगणना संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन 11 मई को प्रातः 10.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष रायगढ़ में किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा, नोडल अधिकारी पुलक भट्टाचार्य तथा सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा मनीष मिश्रा द्वारा संसदीय क्षेत्र 2 रायगढ़ अजजा अंतर्गत जिला रायगढ़ एवं जशपुर जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

## ईनामी ऑफर बताकर वृद्ध से की थी लाखों की ठगी

**» आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** ग्राम पंझर थाना कोतरारोड़ निवासी बरन सिंह ठाकुर उम्र 74 वर्ष द्वारा आज थाना कोतरारोड़ में कुछ लोगों द्वारा फोन पर ईनामी ऑफर के नाम पर करीब 06 लाख रूपये की ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । मामले में पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ धारा 420,34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जानकारी के अनुसार पीडित बरन सिंह ठाकुर के मोबाईल पर 15 जून 2017 को मुकेश सूर्यवंशी नाम का व्यक्ति अपने आप को आदित्य बिरला ग्रुप लकी काल सेन्टर परदेशी पुरा जैन मंदिर के सामने इन्दौर (म.प्र.) का रहने वाला बताकर बरन सिंह को उसके मो.नं. 738962... पर दस लाख रूपये ईनामी आफर लगा है । ईनाम राशि खाते में जमा करना है कहकर पहले बचत खाता नम्बर मांगे, उसके बाद 15 जून 2017 से 18 मार्च 19 तक लगातार मुकेश सूर्यवंशी, दिनेश तिवारी, अमन पाण्डेय, रितेश शर्मा एवं पूजा शर्मा द्वारा ईनामी राशि भेजने के लिए प्रोसेसिंग व अन्य खर्च लगेगा कहकर अपने खातों में बरन सिंह से करीब 600200 रूपये विभिन्न बैंकों के बैंक एकाउंट में धोखाधड़ी कर जमा करा लिये । पीडित के आवेदन पत्र पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420,34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना चक्रधरनगर के धारा 376ईपीसी,4,6 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी अजय खड़िया को 10 वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया।

**तत्काल आवश्यकता है**

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

**ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग**

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

**न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की**

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090



स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480